महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं में चित्रित राजनीतिक समस्याएं

कल्पना
शोध छात्रा
हिन्दी विभाग
महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा
मेल – ksnrw16@gmail.com

परिचय : समाज का निर्माण पुरूष और महिलाओं के संयोग से होता है इसी कारण समाज में पुरूष और महिलाओं की जननी लगभग समान है परन्तु अपनी जनसंख्या के अनुसार महिलाओं को राजनीति में उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अगर हम सीधे तौर पर देखते है तो आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली आज भी अपना उचित स्थान राजनीति में नहीं दिया गया है। पुरूष ने औरत को केवल एक वस्तु के रूप देखा हैं और वैसा ही उसका प्रयोग करने की सोचता है यह पितृसत्तात्मक राजनीति का बहुत बड़ा सत्य है। इसी कारण स्त्री राजनैतिक दृष्टि से पुरुषों से पीछे रह गयी जब महिलाओं ने देखा की पुरुष उन्हें किसी भी मुख्यधारा में मिल नहीं करेगा इसलिए इन्होंने इस सत्ता से टकराकरने की सोची। इसी कारण पहले अपनी राजनीतिक समस्याओं को उठाने का प्रयास कुछ पढ़ी लिखी लेखिकाओं ने किया फिर उन सभी प्रयासों का वर्णन अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका प्रभाव स्त्री पर भी देखा गया। महिलाओं आत्मकथाकारों में कुछ तो ऐसी थी जिन्होंने भारत विभाजन का दन्श भी झेला था।

प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम ने विभाजन की स्थितियों का वर्णन अपनी आत्मकथा में करते हुए कहा है कि ''1947 में देश के विभाजन के समय भी देखा। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मूल्य कांच के बरतनों की भांति टूट गए थे और उनकी किरचें लोगों के पैरों में बिछी हुई थी। ये किरचें मेरे पैरों में भी चुभी थी और मेरे म्हा थे में भी '' जो दर्द पैरों के साथ माथे को जख्म दे दे वह दर्द कितना भयानक होता होगा।

इसी प्रकार मन्नू भण्डारी ने स्वतंत्रता के समय काफी संघर्ष किया। इनके पिता के घर राजनीति से संबंध रखने वाले लोगों का आना जाना हमें रहता था। इन सबके के प्रभाव मे मन्नू लोगों में जोश भरने के लिए भाषण भी देती थी। वे कहती है कि ''सन् 1946–47 के वे दिन वे स्थितियाँ उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हडतालें, जुलूस भाषण हर पहर का चरित्र था, और पूरे दमखम और जोश खरोशके साथ इन सबसे जुडना हर युवा का उन्माद था । स्वतंत्रता आन्दोलन में अनेक समस्याओं का सामना महिलाओं को अपने राजनीति संघर्ष की गाथा में मन्नू भण्डारी ने आगे कहा है कि ''हाथ उठा–उठाकर नारे लगाती, हडतालें करवाती लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब गुरू हुआ था, राजेन्द्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा । बचपन से लेकर अब तक जो में चलता रहा लेखिका के जीवन में वह सब उसके अपने बल व सत्य के साथ चलने का परिणाम था ।

जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी रही हो महिलाओं के लिए राजनीतिक सफर कभी आसान नहीं रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा पितृसत्ता का हाथ रहा है पुरुष ने कभी भी महिलाओं को मुख्यधारा में आने हीनहीं दिया है। पुरूष सदैव यह सोचता रहा कि अगर राजनीति में महिलाएं आ गई तो वह अपने अधिकारों की मांग करेगी और तुम्हारी सत्ता खत्म हो जाएगी। परन्तु हिम्मत और हौसलों के दम पर महिलाएं आगे आई और उन्होंने अपने लिए एक अपनी जमीन स्वयं तैयार करनी आरम्भ की।

समाज पुरुष और स्त्री दोनों से मिलकर बना है इसी नाते समाज में दोनों को बराबरी का हक होना चाहिए। जितनी स्वतंत्रता पुरूष को है इतनी महिलाओं को भी होनी चाहिए। वैदिक काल में महिलाओं को पुरूषों से भी ज्यादा अधिकार थे। समाज के प्रत्येक वर्ग में उनका मान सम्मान था उन्हें अपने फैसले स्वयं करने का अधिकार था। विवाह आदि के समय भी महिलाएं अपने लिए स्वयं वर का चुनाव करती थी। परन्तु मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं ने स्त्री अस्मिता को तार–तार करने का प्रयास किया इसके कारण महिलाओं की स्वतंत्रता कम होती चली गयी। घर की चार दीवारी ही उसका संसार बन गयी थी। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना पुरूषों का काम हो गया था। इसी का फायदा पुरूषों ने उठाया और महिलाओं के मन में ऐसी धारणा भर दी जिससे वे अपने आप को कमजोर समझने लग गयी। महिलाओं द्वारा पुरूषों के किसी भी बाहरी काम में हस्तक्षेप नके बराबर था। यह कर्म ताब्दियों तक चलता रहा इससे महिलाओं ने पुरुषों की गुलामी करना अपनी नियति मान लिया। परन्तु धीरे–धीरे महिलाओं ने घर की चाहरदीवारी से निकलने की कौणि आरम्भ की। वह बाहर के कार्यों में भी पुरुषों की मदद करने लग गयी। फिर भी पुरूषों ने कभी भी महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं दिया। भारत का संविधान 15 जनवरी 19467 को लागू जिसमें पुरूष व महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं परन्तु सामाजिक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों के दर्जा आज भी नहीं प्राप्त हुआ है।

हमारी सनातन संस्कृति में पत्नी को अर्द्धांगिनी माना जाता है अर्थात् पुरूष का आधा भाग होता है। समाज में होने वाले उत्सवों, राशन कार्ड, निमत्रण पत्रों पर पहला नाम पुरुष का लिखा होता है उन पर पत्नी के नाम को कोई महत्व नहीं दिया

जाता। पुरूष अपने बराबर कभी भी स्त्री को लाना नही चाहता । मैत्रेयी पुष्पा लिखती है कि ''मेरी जिन्दगी की लय किसी मातमी जुलूस सी हो गयी है। जिसमें लोग बिना दाएं–बाएं देखे बस सिर झुकाए चले जाते है या समझाते कि अपने अधिकार की बात कहना मर्यादा का उल्लंघन लगता था । आदर–सम्मान, मर्यादा, कुलशीलता निभाना और गीलवती गुणवती बहु होना आसान नहीं होता। बेटा खून के आंसू रूलाता रहा मुझे इस परिवार में शादियां होती हैं, उत्सव मनाते हैं, तो कार्ड छपवाए जाते हैं, तुम वहां कहीं–कहीं नहीं होती हो। मेरी बेटियां डॉक्टर बनने के बावजूद परिवार के स्तर पर खारिजनाम जैसे हमारे घर में एक ही व्यक्ति हो, जो पुरुष है, तेरे पिता। आंसू पीते हुए यही मान लेना होता मुझे। क्या यह घाव मेरी भूल का कारण है या स्वाभाविक है यह तकलीफ ? तकलीफ जिसे में दिल में दबाए जी रही हूं। '' स्त्री भी इंसान है उसकी भी अपनी इच्छाएं होती है, वह भी स्वाभिमान से जीना चाहती है। किन्तु पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने उसकी इच्छाओं को सदैव दबाने का काम किया है और स्त्री के स्वाभिमान को कुचला है। पुरुष स्त्री को अपने बराबर दर्जा कभी नही देना चाहता । स्त्री के मन में उत्पन्न सभी सवालों को यह जान बुझ दबाने का प्रयास शताब्दियों से करता आ रहा है।

स्त्री की समानता की महज बातें व कानून बनाएं जाते हैं पर उन्हें न तो लागू किया जाता और नहीं समाज क्योंकि पुरुष प्रधान समाज कैसे इन कानूनों को लागे करसकता है समाज में एक बड़ी ही हास्यास्पद बात है जब कानून स्त्रियों के लिए बनाए जाए तो उन्हें पुरूष बनाते हैं। स्त्री के कानून बनानी वाली समिति व संसदमें स्त्रियां ही नही होती। इस प्रकार जब स्त्रियों के कानून पुरूष बनाता है तो वह कैसे स्त्रियों को सम्मान अधिकार दे सकता है।

हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। वर्तमान मोदी सरकार ने 'बेटी बचाओं–बेटी पढाओ का नारा दिया जिसके बाद समाज में बेटियों के प्रति थोडा दृष्टिकोण बदला है। परन्तु समानता के दर्जे की बात पुरूष के द्वारा फिर भी नहीं की गई। समानता का मतलब होगा आधा भाग पुरूष मर जाना पसंद करेगा परन्तु स्त्री को आजादी और बराबरी का दर्जा कभी नहीं दे पाया और शायद दे भी न पाए तब तक महिलाएं उसेस्वयं प्राप्त न कर ले। महिला आत्मकथाओं की वेदना पढ़कर लगता है कि जब उच्च वर्ग की स्त्रियों की समानता नहीं प्राप्त हो पाई है तो निम्न व गरीब परिवारों की महिलाओं की स्थिति कैसी होगी।

संसार को आगे बढाने के लिए पति और पत्नी का महत्व एक समान है। दोनों के मिलन से संसार आगे बढ़ता है। भारतीय संस्कृति में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति देवता समान माने गए है। परन्तु बदलते परिवेश में हमारे संस्कृतिक मूल्यों का इास हो रहा है। समाज में अब स्त्री का स्थान बराबरी का नहीं है क्योंकि समाज पुरूष प्रधान हो गया है। इसलिए पुरूष ने महिलाओं पर अपना अधिकार समझ लिया। यह अधिकार या हक पुरुष और भी प्रबल तरीके से समझने लगता है जब स्त्री उसकी पत्नी बन जाती है। पुरूष पत्नी को एक गुलाब की तरह देखता है। पुरूष कभी भी नही चाहता कि उसकी पत्नी उसके सामने किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की बात करें। वह स्त्री को नौकरी भी करवाने के पक्ष में नही होता है अगर स्त्री नौकरी भी करती है तो उसके वेतन पर पुरूष अपना अधिकार रखता है। पुरुष चाहे उच्च वग्र का हो या मध्यम वर्ग का वह स्त्री पर अपना अधिकार जमाता है। इसका शिकार बड़ी–बड़ी हस्तियां भी होती है। रमणिका गुप्ता अपने पति से परेशान होकर उसे कहती है कि ''गुलाम या मूरख बहस नहीं करते। न मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और न ही मैं मूरख हूँ ।'' लेखिका ने जब ये बद अपने पति को कहे होंगे तब उसके मन में कैसा भाव होगा पुरूषों के दबाव का इसका अनुमान सहज रूप सेही लगाया जा सकता है। पुरूष अपनी पत्न नपर इस प्रकार हक जमाता है जैसे वह प हो और उसने उसको खरीद रखा है, अ बवह उसके द्वारा निर्धारित खूंटे पर बंधी रहे और उसकी परीधि को ही अपना संसार मानकर अपना जीवन यापन करें।

पुरुष स्त्री को हर रूप में सहजता से छूट दे देता ळै परन्तु जब स्त्री पत्नी रूप में पुरुष के साथ होती है तो वह कभी भी उसको किसी भी प्रकार की आजादी नही देना चाहता। पत्नी रूप सामने आते ही पुरूष की मनोदशा बदल जाती है वह अपने आप को बड़ा समझता है और अपनी पत्नी का हीन दृष्टि से देखता है। मन्नू भण्डारी का नाम हिन्दी साहितय में बहुत बडा नाम है परन्तु उनका मानना है अगर उनके पति राजेन्द्र बाबू उसको एक पत्नी के रूप स्वतंत्रता और उस पर विश्वास करते तो यह जीवन में खु रहती है और जितना लिखा है उससे कहीं ज्यादा लिख पाती। वे कहती है कि ''लेखन के कारण ही हमने विवाह किया था। हम पति–पत्नी बने थे। उस समय मुझे लगता थ कि राजेन्द्र से विवाह करते ही लेखन के लिए तो जैसे राजमार्ग खुल जाएगा और उस समय यही मेरा एकमात्र काम्य था उस समय कैसे में यह भूल गई थी कि शादी करते ही मेरे व्यक्तित्व के दो हिस्से हो जाऐंगे लेखक और पत्नी । इसमें कोई संदेह नी कि मेरे लेखकीय व्यक्तित्व को राजेन्द्र ने जरूर प्रेरितऔर प्रोत्साहित किया ....लेकिन मेरे व्यक्तित्व का पत्नी रूप? इस पर राजेन्द्र निरन्तर जो और जैसे प्रहार करते रहे उसका परिणम तो मेरे लेखक ने भी भोगा । निरन्तर खंडित होते आत्मविश्वास से लेख्न में आए गतिरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ अन्ततः वह उसके पूर्ण विराम पर ही समाप्त हुआ ।

इस प्रकार से अगर संविधान की स्थिति की बात करें तो लड़की को अपनी पुतनी सम्पति में पूरा हक मिला हुआ है। किन्तु अगर लड़की का पिता अपनी बनाई हुई सम्पति की कोई वसीयत बना देता है तो बात अलग है। लड़की की शादी के बाद पति की सम्पति पर पत्नी का मालिकाना हक नही होता अपितु पति की हैसियत के हिसाब से उसे गुजारा भत्ता दिया गया है। महिला को यह अधिकार है कि उसका पालन–पोषण उसका पति अपनी हैसियत के हिसाब से करें गादी विवाह के संबंधों में यह कानून है कि पत्नी पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है।

देश को चलाने और जनता के हितों को ध्यान मे रखते हुए कानून बनाने का कार्य संसद में जनता द्वारा चुने हुए राजनेता करते है। देश व समाज का चाहे कोई भी पक्ष हो सभी को सूचारू रूप से चलाने के लिए राजनेता कानून बनाते हैं। किन्तु बहुत बार देखा गया है कि ये राजनेता ही जनता के पैसे को लूटने का काम भ्रष्टाचार आदि में लिप्त पाए जाते हैं। राजनेता जनता के

पैसे का पैसे का प्रयोग अपने ऐसो आराम के लिए करते हैं राजनेताओं के साथ बड़े–बड़े अधिकारी भी मिले होते हैं जो विभिन्न अपराधों में राजनेताओं का मार्गदर्शन करते हैं।

राजनेता व बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार के अतिरिक्त महिलाओं को भी शोषण का शिकार बनाने में पीछे नही रहते। बहुत से राजनेताओं पर समय–समय पर ऐसे आरोप लगे भी है और सिद्ध भी हुए। राजनेताओं व बड़े अधिकारों द्वारा महिलाओं का शोषण आम बात है। इनके लिए रात को कॉलेज के होस्टल की लड़कियां या वे महिलाएं जो काम के लिए अपने धरों से बाहर अकेली रहती है उनका बंदोबस्त किया जाता है। इस प्रकार की लडकियों और महिलाओं को बहलाने–फुसलाने का कार्य महिलाओं द्वारा ही राजनेताओं या अधिकारियों के कहने पर ही किया जाता है। एक बार जब कोई लड़की उनके बहकावें में आ जाती है तो फिर वह उसे बाहर नहीं जाने देती। बड़े–बड़े राजनेताओं व अधिकारियों को खुश करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। बहत बार देखा गया है कि किसी विश्वविद्यालय में महिला होस्टल वार्डन भी ऐसे मामलों में लिप्त पाई जाती है।

राजनेताओं द्वारा और अधिकारियों द्वारा महिलाओं का शोषण कोई नई बात नहीं है। जब भारत आजाद हुआ तब लाखों हिन्दू व सिक्ख महिलाओं का शोषण व बलात्कार मुस्लिमों के द्वारा किया। रमणिका गुप्ता जोकि हिन्दू महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लड़ी वे खुले आम अफसरों पर आरोप लगाती है और कहती है कि ''ये तो भाषण दे रहे हैं और लड़कों को खोजने का आवासन दे रहे हैं सबके सब झूठ बोलते हैं। इनके घरों में ही तो लड़कियां है। इन्हीं लोगों के घरों में जाइए एकएक के यहां पांच–पांच, दस–दस लडकियां मिल जाएगी । इसका अर्थ यह हुआ कि अपने ऐशो–आराम के लिए अधिकारी महिलाओं का खूब शोषण करते है। राजनेता पार्टी में महिलाओं को पद या सीट देने के लिए भी उनका करते हुए पाए गए है। कुछ मामले बड़े–बड़े राजनेताओं पर भी लगे हैं जो महिलाओं का मानसिक व शारीरिक शोषण करते पाए गए है। ऐसे राजनेता समाज का कलंकित करने का काम करते है।

राजनीति में महिलाओं का शोषण एक बहुत ही आम बात है, कुछ मामले बाहर आते है और अधिकार मामले राजनेताओं द्वारा अपने प्रभाव से दबा दिए जाते है। राजनीति में स्त्री के स्वाभिमान को तोडने की बहुत कोशित की जाती है यह एकआम बात है कि जो समाज में जमीनी स्तर पर सबको पता होती है। अगर राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उनहें हिम्मत रखनी होगी अगर महिलाएं हिम्मत नही रखेगी तो राजनीति में प्रभावशाली लोग उनके अधिकारों का हनन करेंगे। इसी विषय में रमणिका गुप्ता ने कहा है कि ''राजनीति और समाज सेवा में आत्मविश्वास, होंसला, निडरता और हठ जरूरी चीजें हैं। एक औरत को आगे बढने के लिए 'थथेर' होना भी जरूरी है। 'थथेर' का मतलब संवेदनशील नहीं, बल्कि पूर्णतया संवेदनशील होते हुए विपरीत स्थितियों में डटे रहना है ।''

 ISSN No.2394-6563

हिन्दी साहित्य में आत्मकथा विधा की विभिन्न प्रवृतियां

कल्पना
शोध छात्रा
हिन्दी विभाग
महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वडोदरा
मेल –ksnrw16@gmail.com

जब किसी घटना का या किसी विचार का विवरण दिया जाता है तो वहां पर दो दृष्टियां हो सकती हैं एक स्वदृष्टि और एक परदृष्टिद्य जब मनुष्य अपने जीवन का या दृष्टिकोण स्वयं प्रस्तुत करता है तो उसे स्वदृष्टि या आत्मकथा कहा जाता है और जब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन या दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण किया जये तब उसे पर दृष्टि या जीवनी कहा जाता हैद्य संसार के हर साहित्य की कुछ न विशेषता होती हैद्य प्रस्तुत शोध पत्र में हिन्दी साहित्य के आत्मकथा विषयक साहित्य की विभिन्न प्रवृतियों का अध्ययन किया गया हैद्य मैत्रेयी पुष्पा ने आत्मकथा के विषय में कहा है कि ''हर आत्मकथा एक उपन्यास है और हर उपन्यास एक आत्मकथा। दोनों के बीच सामान्य सूत्र फिक्शन है। इसी का सहारा लेकर दोनों अपने आपकी कैद से निकलकर दूसरे के रूप में सामने खड़ा कर लेते है, यानि दोनों कहीं न कहीं सृजनात्मक कथा गढता है।'' पुष्पा उपन्यास और आत्मकथा के गुणों को शायद एक समाने मानती है या फिर वह आत्मकथा को लेखक चरित्र और उपन्यास को किसी समाज विशेष पात्र का सत्य चरित्र मानती है। वे उपन्यास और आत्मकथा दोनों को गुणों की सृजनात्मकता की दृष्टि से देखती है। महाकवि दिनकर जी ने आत्मकथा के विषय में कहा है कि ''डायरी हो या आत्मकथा आदमी अपने सही रूप को उस तरह आंक नहीं सकता जिस तरह से उसे कोई तटस्थ व्यक्ति आंक सकता है। जीवन में हम बहुत से गलत काम करते हैं लेकिन उनका ध्यान हमें बराबर रहता है कि वे गलतियाँ हमारे लेखों में न आ जाएं। हम हर समय कोई न कोई मुखौटा लगाकर चलते हैं किन्तु मुखौटा लगाकर चलते हैं। किन्तु मुखौटा बहुत पुराना पड़ जाए, तो उसमें छेद हो ही जाते हैं। और सब मुखौटे के होने पर भी आदमी का रूप पारखियों से छिपा नहीं रहता। मगर मेरे लिए इसमें शरमाने की क्या बात हैं? आप और हम दोनों एक ही नाव पर हैं।'' दिनकर जी का मानना है कि आत्मकथा में आत्मकथाकार अपना सही मूल्यांकन तटस्थ रहकर नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वयं के द्वारा किए गए गलत को बताना नहीं चाहता। दिनकर और डा० नगेन्द्र दोनों इस विषय में एक समान विचार रखते हुए प्रतीत होते हैं इसी कारण डा० नगेन्द्र भी आत्मकथा को अर्द्धसत्य कहते हैं। प्रभा खेतान एक स्त्री विमर्शकार है उनके अनुसार – ''आप चौराहे पर एक–एक कर कपड़े उतारते जाते हैं। लिखने वाले के मन में आत्मप्रदर्शन का भाव किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है, मन के किसी कोने में एक हल्की सी चाहत रहती है कि जो कुछ भी लिख रहा है उसे सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, पर दर्शक अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। उनका मन वे इस नाच को देखें या फिर पलटकर चले जाएं।'' प्रभा खेतान आत्मकथा के लेखक की तुलना चौराहे पर खड़े होकर कपड़े उतारते व्यक्ति से की है और कपड़े उतारकर वह व्यक्ति नाच भी करता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक व्यक्ति भीड़ के बीच अपने कपड़े उतार रहा और आत्मकथा कार अपने सत्य पाठकों के सामने बता रहा है और फिर नाचने का अर्थ है जब सब कुछ सत्य बता देता है तो फिर वह अपने वास्तविक किरदार में आता है तो आगे जीवन के कार्यों के बारे में बताता है। कृष्णा अग्निहोत्री के अनुसार – ''आत्मकथा मात्र ऐसे सुखद, रोमांटिक, सेक्सी किस्मों की किस्सागोई तो नहीं। रोजमर्रा की लड़ाई भी तो जीवन कर्म है। लंगडेपन में नीचे न बैठ पाने पर झाडू, पोंछा, बरतन, खाना सब हैंडल करने के बाद लेखक कोई आनन्द की स्थिति तो नहीं।'' कृष्णा अग्निहोत्री आत्मकथा को कोई कहानी याकिस्सा नहीं मानती अपितु आत्मकथा रोजमर्रा के घर के कार्यों में उलझे हुए कर्म भी हो सकते हैं। डा० स्नेहलता शर्मा ने आत्मकथा के विषय में कहा है कि ''आत्मकथा मानव के अनुभवों का आत्मीय शैली में प्रस्तुत किया जाने वाला लेखा–जोखा है।'' डा० स्नेहलता शर्मा ने आत्मकथा के लिए आत्मीय शैली का प्रयोग करने का सुझाव व आत्मकथा में अनुभव को ज्यादा महत्व दिया है। डा० मैनेजर पाण्डेय के शब्दों में आत्मकथा– ''पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा व जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं सौन्दर्यबोध की शर्त भी है '' मैनेजर पाण्डेय जी आत्मकथा में सत्य और सौन्दर्य बोध को भी स्वीकार करते है।

भवानी लाल भारतीय के शब्दों में आत्मकथा – ''अपने आरम्भिक जीवन की कटु यथार्थता तथा उसके मंगलोन्मुख होने की कहानी आत्मकथा कहलाती है।''

भवानीलाल भारतीय ने आत्मकथा को कटु यथार्थ कहा है। संस्कृत, शब्दकोशों, अंग्रेजी कोश, भारतीय विद्वानों और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं के विश्लेषण के बाद आत्मकथा की परिभाषा के विषय में कहा जा सकता है कि आत्मकथा, आत्मकथाकार के निजी एवं सामाजिक जीवन का एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सत्य पर आधारित होता है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा स्वयं के उपर लिखा गया स्वयं के अनुभवों का ग्रंथ होता है। आत्मकथा अपने जीवन निजी पहलूओं को पाठक के सामने लाकर एक आदर्श प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में लेखक के समस्त जीवन का अनुभव और घटनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। आत्मकथा जीवन का एक सार होता है। इसको लिखते समय लेखक जीवन में क्या खोया? क्या पाया? का अवलोकन करता है। लेखक अपने कर्मों को तुला में रखता है और अपने जीवन की सार्थकता को भी जांचता है।

आत्मकथा की अवधारणा –

वर्तमान समय में आत्मकथा गद्य साहित्य की एक तेजी से लोकप्रिय होती विधा है। इसके पीछे कारण यह है कि मनुष्य आज स्वयं के जीवन में झांकने की बजाए दूसरे के जीवन में ताक–झांक ज्यादा रखता है। आत्मकथा के माध्यम से आत्मकथाकार अपने जीवन के सफर में घटने वाली घटनाओं के आधार पर अपने निजी पहलूओं का वर्णन करता है। आत्मकथा में सबसे ज्यादा ध्यान सत्य पर होता है अर्थात् आत्मकथा का आधार सत्य है। आत्मकथा की विधा सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त सभी भाषाओं में मिलती है। अर्थात् जो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो अगर वह आत्मकथा लिखना चाहता है तो वह अपनी मातृभाषा या अपने क्षेत्र की मानक भाषा मेंलिखेगा चाहे वह कोई भी भाषा हो। आत्मकथा में लेखक अपने प्रति तटस्थ भाव से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। इसका केन्द्र स्वयं आत्मकथाकार होता है। वह अपने अनछुए पहलुओं को पाठक के रखने का सामर्थ्य करता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में सत्य को स्पष्टता के साथ लोगों के सामने रखा। महात्मा गांधी द्वारा अपनी पौत्री और भतीजी के साथ नग्न सोने की बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की। कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा एक जिन्दगी काफी नहीं' में लिखा है कि ''नोआखली हीवह जगह थी जहां, गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा का प्रयोग किया था। उनकी पौत्र–भतीजी नो आखाली आई हुई थी। गांधी जी ने मनु के साथ अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग करने का फैसला किया था। गांधी जी के पोते के अनुसार ''यह एक प्रयोग न होकर एक यज्ञ था, जिसके ईश्वर के सम्मुख अपनी यौनशक्ति की बलि दी जाती है।'' गांधी जी का कहना था कि अगर एक ही विस्तर में सोने के बावजूद उनमें या मनु में यौन भाावनाएं पैदा न हुई तो इस या से उनका शुद्धिकरण हो जाएगा।'' अगर लेखक आत्मकथा में अपने जीवन के शारीरिक संबंधों का भी वर्णन करता है तो उससे लोगों में लेखक प्रति घृणा न होकर उसकी स्पष्टता व साहस की तारीफ की जाती है। किन्तु समाज का सामान्य वर्ग इसे आत्मसात् करने मे कतराता है । इस के विषय मे कुलदीप नैयर ने कहा कि ''जैसे ही उनके इस प्रयोग की खबर फैली हिन्दू और मुसलमान दोनों ही समुदायों में हैरत और शर्मिन्दा की लहर दौड़ गई। नेहरू से कुछ कहते न बन पा रहा था।'' सामान्य जनता क्या देश का पहला प्रधानमंत्री शायद गांधी जी से इस कार्य से शर्मिदंगी महसूस कर रहा था। परन्तु वह आत्मकथा ही क्या जिसमें सत्य से पर्दा न उठाया गया हो। आत्मकथा के द्वारा लेखक के विषय में, उसके जीवन के विषय में बहुत कुछ नया जानने व समझने को मिलता है। आत्मकथा में लेखक के व्यक्तित्व के प्रत्यके पक्ष का वर्णन होना चाहिए। जैसे उसके गुण व दोष दोनों ही उसमें निहित होने चाहिए। जब भी कोई अपनी आत्मकथा लिखने लगता है और वह भी तटस्थ भाव से तो यह भी एक बहुत बड़ा साहस का काम होता है क्योंकि अपने जीवन के कुछ पहलू तो ऐसे होते है जिनके बारे में मनुष्य न तो स्वयं चर्चा करता है और न ही किसी उनके बारे में बताता। अगर ऐसी बातें को वह अपनी आत्मकथा में लिखता है तो निसंदेह यह साहस का कार्य है। आत्मकथा तो लिखना उस डा० के सामन है जो किसी मरीज को ठीक करने के लिए उसकी चीर–फाड करता है। इस चीर–फाड से डा को कोई लाभ या हानी हो तो अपितु उस मरीज को राहत मिलती है। उसी प्रकार जब लेखक अपना आत्मचरित्र प्रकाशित करता है तो उसको पढकर पाठक को बहुत प्रेरणा मिलती। वह लेखक के जीवन से बहुत कुछ सीखता है। क्योंकि एक मनुष्य अगर स्वयं का प्रयोग करके सीखने लगे तो उसे सौ जन्य भी कम पड़ जाएंगे। लेखक के बारेमें पढकर पाठक के जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पडता है। लेखक आत्मकथा लिखकर स्वयं पर स्वयं को हाथों कटार चलाता है। यह कटार समाज के सिी विशेष की आलोचना का भी शिकार हो सकती लेकिन लेखक भी कटार समाज में अनेक समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। लेखक जब साहस और वफादारी से अपनी आत्मकथा लिखता है तो कई बार कोई आहत भी हो सकता है। कोई बड़ा–विवाद या झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन यह विवाद पाठक वर्ग के लिए समस्याओं के समाधान में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। आत्मकथा में लेखक को किसी भी प्रकार की बात या तथ्य को न तो छिपाना चाहिए और न ही उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। आत्मकथ में महज लेखक का ही विवरण नहीं होता है। इसमें अपने समय के लोगो ंके बारे में जानकारी, परम्पराओं, मे प्रचलित बाते अपने आस–पास का वातावरण, तत्कालीन समय की राजनैतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक महत्व, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश भी निहित होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी घटना या परिस्थिति पर स्वयं का दृष्टिकोण होता है। किसी समस्या ने निकलने का स्वयं का समाधान आदि भी वर्णित होते है। प्रत्येक आत्मकथाकार अपनी आत्मकथा में अपने हिसाब या अपने अनुभव के आधार पर आत्मकथा का आरम्भ और उसमें घटनाओं को विस्तार देता है। कुछ आत्मकथाओं को हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं जैसे – प्रभा खेतना ने अपनी आत्मकथा 'अन्या से अनन्या' में उस समय की परिस्थितियों का वर्णन बहुत अधिक किया है। वे लिखती है कि ''इधर जन जागृति के आनन्दोलन ने जोर पकड़ा और उधर भारत पाकिस्तान की लडाई की रणभेरी बज उठी।'' ऐसी अनेक घटनाओं व परिस्थितियों के बारे में प्रभा खेतान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है।

'आप हुदरी' की एक हिन्दी लड़की रमणिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा मे यौन समस्याओं के बारे में बहुत ही खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे कहती है कि ''यौन के बारे में भक्ष्य–अभक्ष्य क्या है, समाज इसका फैसला तो करता रहा है, पर उसने समय के साथ अपने मापदंड नही बदले। टकराव यही से शुरू हुआ। व्यक्ति बदलता रहा, प्यार की परिभाषाएँ, सुख की व्याख्या, यौन का दायरा, सब तो देशकाल के अनुरूप् बदलता है। .... नियम व समाज न तो समय के साथ चले और न ही विकास की प्रक्रिया के साथ परिणाम् यौन की वर्जना, सुख की संकुचित सीमा, प्यार पर प्रतिबंध! मैंने अपनी देह की जरूरत पूरा करने का फैसला अपने हाथ में रखा।'' जब रमणिका गुप्ता अपनी आत्मकथा में यौन संबंधी बातों का वर्णन खुलकर करती है तो पाठक भी दो वर्गों में बंट दिखाई देते है। पहला वर्ग इसे असलिलता से जोड़ता है तो दूसरा वर्ग समस्या समाधान व स्पष्टता से जोडकर देखता है। रमणिका गुप्ता यौन समस्याओं को उठाती है तो पद्मा सचदेव अपनी बूंद बावडी आत्मकथ में प्रत्येक समस्या को विस्तार देती है तो कहती है कि '' ये दर्द सिर्फ बटवारे के लोगों का ही नहीं है, उनका भी है जो 1965 व 1971 की पाकिस्तान, हिन्दुस्तान की लडाई में उजड़े जिनके भरे–पूरे घर आज भी उनका इन्तजार करते है। हमारे जवानों द्वारा जीता

गया इलाका भारत ने जब थाली में परोसकर छोटे भाई पाकिस्तान को दिया, तब के उजडकर आये लोगों को बसाने का यत्न किसी ने ना किया। इनके पास न नागरिकता है न वोट पाने का हक। सच है जब दो हाथ ताली बजाते हैं तय बीच में कौन जन्तु आकर मर जाता है, इसे जानने का प्रयास कोई नहीं करता।'' पद्मा सचदेव प्रत्येक घटना को अपने शब्दों से व्यंग्य के माध्यम से वर्णित करती है। वह प्रत्येक घटना पर सवालिया निशान लगा देती है। यह प्रश्न पाठक के मन पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ देते है। चन्द्रकिरण सौनरेक्सा ने अपनी आत्मकथा पिंजरे की मैना में रिश्तों के सम्बन्ध मे विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं ''मेरे अपने मन में फिर भी द्वन्द्व चल रहा था। बाबूजी आते रहते थे वह नया सोचेंगे मायके वाली चार स्थायी सदस्यों को देखकर, उन्हें जरूर क्रोध आयेगा। बहुत सोचा, पेरशान रामो जीजी से ही पता लगा था कि उनके लाहौर की मुंह बोली ननद के बेटे ब्रजलाल दिल्ली तिलक नगर में शरणार्थियों वाले क्वार्टर में रह रहे है।'' ऐसी बहुत सी बातों से हमें आत्मकथा के लेखक के परिवार रिश्तेदारों आदि के बारे में भी जानकारी मिलती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लेखक अपेन बारे में बताता है तो कोई ऐसा परिवार का सदस्य क्या दोस्त उसके साथ है उसके जीवन का भी बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। आत्मकथा के लेखन में डायरी का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते है जो अपनी प्रतिदिन की बातें या कुछप्रमुख घटनाओं को अपनी डायरी में लिख लेते हैं और बादमें उसे आत्मकथा का रूप दे देते है। आज बहुत से प्रतिष्ठित लोग अपने जीवन के बारे में लिखते हैं। वे ऐसी घटनाओं के बारे में बताते है। जिनसे समाज मे एक सकारात्मक सोच व लोगों को प्रेरणा मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखता है तो वह किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर चलता है। आत्मकथा का सम्बन्ध पूर्ण से व्यक्ति की भावनाओं से होता है। अगर कहा जाए कि भावनाओं की अभिव्यक्ति ही आत्मकथा है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। भावनाओं की अभिव्यक्ति मौखिक और लिखित दो रूपों में होती है। मौखिक रूप मे तो मनुष्य के चेहरे के हाव–भाव भी उसकेसाथ होते है। किन्तु जब मनुष्य अपनी भावनाओं कोलिपिबद्ध करना चाहता है तो उसके सामने कुछ समस्याएं भी आती है, जैसे कुछ भावनाओं के लिए उसके पास उपयुक्त शब्द होते हैं कुछ के लिए नहीं होत। जबवह लिपि बद्ध करता है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। शायद इसी कारण विश्व बन्धु शास्त्री विद्यालंकार ने हिन्दी की आत्मकथा साहित्य में लिखा है कि ''जब कभी किसी आत्मकथा लेखक के मन में सत्य और तथ्य का यथार्थ रूप प्रस्तु करने की इच्छा अत्यंत तीव्र हो उठती है, तभी वह तथ्य प्रतिपादन हेतु इतिहासकार के समान प्रमाण जुटाने के कार्य में लग जाता है।'' आत्मकथा के माध्यम सेपाठकों के जीवन में आई समस्याओं के समाधान करने में बहुत मदद मिलती है। लेखक का अनुभव लिपिबद्ध होकर पाठक को सही और गलत में अंतर करने की समझ को भी बढाने में सहायता करता है। आत्मकथा के विषय में समाज का एक सामान्य मानवी मानता है कि जीवन की सम्पूर्ण बाते कोई नहीं बताता कुछ बाते तो लेखक भी छिपाते है। ऐसा अवधारणा का फैलाव बहुत अधिक होता है। उसी सामन्य मानवी से कहा जाए की आप कौन सी ऐसी बात है जो किसी को नहीं बताते या बता नहीं सकते तो लगभग का उत्तर होता है शारीरिक संबंधों के विषय में। मैंने जब उन्हें स्त्री आत्मकथाओं के विषय में बतायाकी बहुत सी स्त्रियों ने अपने जीवन संघर्ष के अतिरिक्त अपनी आत्मकथाओं में अपने शारीरिक संबंधों के विषय में खूब विस्तार से बताया है। अब बताओं आप तब भी गांव के सामान्य मानवी कहते है कुछना कुछ तो अवश्य पाता है। इसकेविपरीत एक पढ़े लिखे व शहरी तबके से आत्मकथा के विषय में मैने बात की तो उनमें अधिकतर लोगों का मानना था कि जब कोई आत्मकथा लिखने की हिम्मत करता है तो वह सत्य लिखने की भी हिम्मत रखता है। यह दो प्रकार की अवधारणाएं मुझे देखने को मिली। आत्मचरित्र किसी पात्र में नहीं होता अपितु वह घटनाओं के रूप् में बिखरा हुआ होता है यह मनुष्य के जीवन की प्रमुख घटनाओं और अनुभवों को एकमाला में पिरोने काकाम करता है कडी से कडी जुडी होती है और वह आगे बढती जाती है। आत्मचरित्र एक व्यक्तिगत निधि होती है। यह निधि रूपी पौधा लेखक की प्रबल इच्छा के फलस्वरूप अंकुरित होता है। जिस प्रकार पौधे का विस्तार उपर डाली व पत्तों के रूप में होता है और दूसरी तरफ उसकी जड़े भी जमीन में और गहराई तक जाती है। अर्थात् एक पौधे का विस्तार पृथ्वी के अन्दर और बाहर दोनों तरफ होता ह। उसी प्रकार आत्मकथा के लेखक का विस्तार आत्मकथा में बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में देखने को मिलता है। आत्मकथा के विषय में यह अवधारणा भी होती है इसके लेखक को स्वयं के प्रति भी तटस्य होना चाहिए। बीते हुए पलों के सुख–दुख आदि को कोई भी व्यक्ति बिना की डर भय के लिपिबद्ध करता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। वास्तव में आत्मकथा बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन होती है। इस अवलोकन में अच्छे–बुरे जितने भी अनुभव होते है वे पूरी निष्ठा व साहस के साथ पाठक के सामने प्रस्तुत करना हातो है। जब कोई जिज्ञासु पाठक किसी की आत्मकथा पढता है। तो वह वास्तव में उस लेखक के अंतर्मन को भी जान लेता है। आत्मकथा कोई मनोरंजन परक साहित्य नहीं है अपितु यहपाठक में व्यक्ति को समझने व परिस्थितियों से निपटने की एक समझ व कला को भी विकसित करती है। देखा जाए तो आत्मकथा विधा का आरंभ हीदूसरे के विषय में जानने व स्वयं के विषय में कहने के लिए ही हुआ है । आत्मचरित्र में लेखक अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है। इससे पाठक को ऐसा लगता है जैसे बिना मिले ही उसने लेखक से मुलाकाल कर ली हो। अर्थात् पाठक भावनाओं के माध्यम से लेखक से जुड. जाता है। आत्मकथाकार जब आत्मकथा लिखता है त बवह अपने चरित्र का मूल्यांकन व लेखन आंतरिक दृष्टि से करता है। इस आंतरिकता के साथ सत्य को मिलाकर जो दस्तावेज तैयार होता है वह आत्मकथा का रूप है। आत्मकथाकार स्वयं का मूल्यांकन सत्य की कसौटी पर करता है। आत्मकथा के लिखने के लिए जिन घटनाओं व अनुभवों का लेखक वर्णन करना चाहता है वह लेखक की व्यक्तिगत निधि है। जब पाठक इस व्यक्तिगत निधि को पढता व महसूस करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वहइन घटनाओं में लेखक केसाथ हैं। बहुत बार पाठक आत्मकथा से ऐसे जुड़ जाता है जैसे वे घटनाएं उसके साथ ही घटित हो रही हो। आत्मकथा में लेखक वे सभी घटनां लिपिबद्ध करता है जो उसके साथ घटी होती है। आत्मकथा लिखते समय लेखक के सामने वे घटना या पल यथार्थ में होने की अनुभूति होती है। लेखक के सामने अतीतकी स्मृतियां इस

प्रकार चलती है जिस प्रकार किसी मंदचलती गाडी से बाहर के दृश्य पीछे की ओर चलते दिखाई देते है। अर्थात् स्मृतियां सभी उसके ध्यान में आ जाती है लेनिक वे रूकती नहीं मंद गति से चलती रहती है। जब मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल जाती है तो गाडी रूक जाती है और वह चारों तरह देखता है तो उसे कुछ भी गतिमान नहीं दिखता सब कछ अचल लगता है। यह स्थिति वह होती है जब आत्मकथाकार अपनी आत्मकथा लिख देता है जब वहउसी अतीत की गाडी से उतरकर वर्तमान में सवार हो जाता है। जो भी कोई आत्मकथा लिखने के बारे सोचता है उसमें सबसे पहले एक प्रबल शक्ति होनी चाहिए जो उसके अन्दर से स्फुटित होनी चाहिए। इस प्रबल शक्ति के परिणाम स्वरूप लेखक मे सत्य को अंकित करने की शक्ति आती है इसी सत्य को लेखक पाठक के सामने यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है क्योंकि आत्मकथा का धरातलयथार्थ ही होता है।

बहुत से व्यक्तियों व लेखकों में अपने प्रेम संबंधों को सार्वजनिक करने की इच्छा नहीं होती या वे करना नहीं चाहते। ऐसे लोग केवल अपने सार्वजनिक जीवन को ही सार्वजनिक कर सकते है। ऐसा ही एक प्रसंग जय शंकर प्रसाद के विषय में भी है। जब प्रसाद को हंस पत्रिका में अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया क्योंकि प्रसाद जी प्रेम संबंधों को नितान्त व्यक्तिगत थाती मानते है जिनको वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि ऐसा करने से उसके प्रेम की पवित्रता समाप्त हो जाएगी।

प्रसाद जी ने शायद इसी कारण मना कर दिया आत्मकथा लिखने के लिए क्योंकि वे आत्मकथा के तत्वों को भली भांति जानते थे। वे सम्पूर्ण सत्य लिख नहीं पाते और अधूरे सत्य को वो आत्मकथा नहीं मानते उसी कारण उन्होंने आत्मकथा लिखने क लिए मना कर दिया।

आत्मकथा को सत्य की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उसके लेखक के दो गुणों साहस व ईमानदारी की आवश्यकता होती है। आत्मकथा का महत्व व पाठक के लिए उसकी सार्थकता तभी हो सकती है जब आत्मकथाकार अपने अन्दी की घृणा व बुराइयों को ईमानदारी से लिपिबद्ध करें क्योंकि स्वयं के गुणों का बखान तो कोई नही कर सकता है। आत्मकथा के कुछ अंश पाठक के लिए एक धरोहर के रूप में भी हो सकते है जैसे किसी दुर्गम परिस्थितियों सेलेखक किस प्रकार निकला व अपने जीवन को किस प्रकार सार्थक बनाया। आत्मकथा किसी लेखक की ही नहीं हो सकती आत्मकथा कोई भी लिख सकता ळै। किन्तु प्रसिद्धि उन्ही आत्मकथाओं को मिलती है जिनके लेखक प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई महापुरूष हो। महापुरूषों की आत्मकथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महापुरूषों के जीवन अने विषय परिस्थितियों आई होती है। उसका समाधान करके कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की? कैसे जनता का सहयोग प्राप्त किया? आदि अनेक प्रसंग हमें मिलते हैं। भारत व विश्व में अनेक महापुरूष हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी और समाज व राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनी। भारत में महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, पंडित जवाहर लाल नेहरू की आत्मकथा 'भारत एक खोज' में अनेक ऐसी घटनाएं, अनुभव व संघर्ष की दास्तान है, जो पाठक को अन्दर तक झकझोर देती है। इनके अतिरिक्त आजकल क्रिकेटर, खेल जगत में प्रसिद्ध खिलाड़ी, फिल्मकार, राजनेता, अध्यापक, व्यवसायी आदि लगभग स्वयं के क्षेत्र के ये प्रसिद्ध लोग जो फर्श से अर्श तक पहुंचे उन्होंने अपने जीवन को लिपिबद्ध करने का साहस पूर्ण कार्य किया है। जो लोगों को उनके क्षेत्र में आगे बढने के लिए प्रेरित करता है। बहुत से लेखक ऐसे होते है जो संकोची प्रवृति होते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मकथा लिखने के नामपर लेखनी चलाने के नाम पर साहस नहीं कर पाते क्योंकि उनका सम्पर्क ऐसे लोगों से होता है जो या तो लेखक के दुर्व्यवहार का शिकार होते है या लेखक उनके दुर्व्यवहार का शिकार होता है। दोनोंही परिस्थितियों को शायद लेखक बताना या सार्वजनिक न करना चाहता हो। आत्मकथा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा स्वयं को प्रस्तुत या प्रकट किया जाता है। समाज में स्वयं को प्रकट करने या अपनी एक अलग पहचान बनाने की तमन्ना सभी को मन में होती है। इसी तमन्ना या इच्छा को किसी न किसी रूप में जाहिर करना चाहता है। इसी कारण वह अपने मन में संतोष उत्पन्न करने के लिए आत्मकथा लिखता है। शायद इसी कारण आज आत्मकथा लेखन में इतनी वृद्धि हो रही है। हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में कष्णनंद गुप्त ने लिखा है कि ''व्यक्तिगत को प्रकट करने की लालसा ने जहां उपन्यास, नाटक, प्रबंध, कहानी अथवा गीति काव्य को जन्म दिया है, वहीं आत्मकथा जेसी वस्तु की वही जननी है। अपने को व्यक्त करने की गुंजाइश उपन्यास, नाटक में कम है। वह गुण कविता में कुछ ज्यादा है परन्तु आत्मकथा द्वारा हम सही या गलत अपने को ही व्यक्त करते है।'' सही और गलत का मापदण्ड समाज के हाथों में होता है क्योंकि मनुष्य जीवन पर समाज के नियमों का पालन करता हुआ ही आगे बढ़ताहै किन्तु आत्मकथा में लेखक अपने किए गए कार्यों को तुला पर रखने की कोशिश करता है जिसके कारण वह अपने जीवन की सार्थकता को जान जाता है।

संदर्भ सूची

1. मैत्रेयी पुष्पा, कस्तुरी कुण्डल बसै से उद्धृत
2. रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर की डायरी पटना 24.02.1993, पृ.सं. 02
3. प्रभा खेतना, अन्या से अनन्या, पृ0 255, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2010
4. डा० बापूराव देसाई, हिन्दी आत्मकथा विधा शास्त्र और इतिहास, पृ0 27, गरिमा प्रकाशन, संस्करण, 2011
5. डा० स्नेहलता शर्मा, आत्मकथाकार बच्चन, पृ0 223, संस्करण 1986
6. वही पृ.स. 27
7. एक जिन्दगी काफी नहीं, कुलदीप नैयर, अनुवाद युगांक धीर, पृ0 79, राजकमल प्रकाशन, छठा संस्करण 2020
8. वहीं, पृ0 79
9. प्रभा खेतान, अन्या से अनन्या, पृ0 64

10. रमणिका गुप्ता, आपहुदरी, पृ0 336
11. पद्मा सचदेव, बूंद बावडी, पृ0 93
12. चन्द्रकिरण सौनरेक्सा, पिंजरे की मैना, पृ0 268
13. विश्वबन्धु शास्त्री विद्यालंकार, हिन्दी का आत्मकथा साहित्य, पृ0 88
14. कृष्णनंद गुप्त, हंस वाणी, हंस आत्मकथांक, जनवरी–फरवरी, 1932